

221
कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजना ए, जयपुर ।
॥ जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन ॥

क्रमांक : भू-अ/नविआ/१।

दिनांक 25.7.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के
निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु
ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति
बाबत पृथ्वी राज नगर योजना।

- - -

मुकदमा संख्या

=====

1. 71/88

2. 72/88

3. 74/88

व वा उ
-:-:-:-:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार
के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति
अधिनियम 1894 ॥ 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1॥ की धारा 4
॥ 1॥ के तहत क्रमांक प-6॥ 15॥नविआ/87 दिनांक 6-1-1988 का
गजट प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र दिनांक 7, जुलाई 1988 को किया
गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार
को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन
विभाग भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत
धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6॥ 15॥नविआ/3/87 दिनांक
28-7-1989 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में जुलाई 31, 1989
को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा
जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम गोकुलपुरा
तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई

गई है :-

- - - 2

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्र.सं. पु.सं. उ.सं. - - - - - नाम जातिपद/विवरण

1.	71/88	59	24	-	03	आताउद्दीन अहमद जी पुत्र अमीनुद्दीन अहमद जी दि. 57/97, हरबंठा सिंह पुत्र झंझ सिंह, जगदेव सिंह पुत्र ततपंत सिंह दि. 90/97
	72/88	60	00	-	11	सरदार हरबंठा सिंह पुत्र सरदार झंझ सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार ततपंत सिंह दि. 90/97
		61	01	-	08	" " " "
		62	00	-	11	" " " "
		59	02	-	05	" " " "
		302	29	-	00	
2.	74/88	70	01	-	01	सरदार हरबंठा सिंह पुत्र झंझ सिंह, जगदेव सिंह पुत्र ततपंत सिंह दि. 1/2, रायचन्द्र सिंह पुत्र हरचूरा सिंह निहाल और पत्नी छूरा सिंह 1/2 ता. देह
	72/88	71	01	-	00	सरदार हरबंठा सिंह पुत्र झंझ सिंह, जगदेव सिंह पुत्र ततपंत सिंह 1/3, रायचन्द्र सिंह पुत्र छूरा सिंह निहाल और पत्नी छूरा सिंह 1/3, आताउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/3 ता. देह
4.	71/88	63/2	14	-	04	सरदार हलैक सिंह पुत्र मस्तान सिंह जीम विवध नि. गोरिया
5.	71/88	63/1	13	-	17	सरदार इकबाल सिंह पुत्र नाहर सिंह विवध
6.	74/88	72	00	-	11	रायचन्द्र सिंह पुत्र छूरा सिंह, निहाल और पत्नी छूरा सिंह 1/2, इकबाल सिंह पुत्र नाहर सिंह 1/4
7.	73/88	61/1	14	-	16	अमीनुद्दीन अहमद
9.	74/88	69/1	14	-	00	सरदार मनदीप सिंह पुत्र छूरा सिंह जाट ता. देह
13.	74/88	69/2	13	-	06	सरदार रायचन्द्र सिंह पुत्र छूरा सिंह व जीमती निहाल और पत्नी सरदार छूरा सिंह विवध ता. देह
		73	25	-	02	रायचन्द्र सिंह पुत्र छूरा सिंह, निहाल और देवा छूरा सिंह जीम जाट ता. देह 1/2, आताउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/2 नवाब मुहाल.
11.	71/88	66	01	-	17	मोहितारण पुत्र मंदर लाल ता. देह
12.	72/88	68	29	-	02	श्री नारायण पुत्र प्रसोपन्द 1/2 राधे श्याम, मोहन लाल गया रत्नीराम, लालाराम पुत्रान गोविन्दराम 1/2 अहीर ता. देह



(Handwritten signature)

क्रं.सं. 1 मुकदमा सं. 74/88, डा. नं. 69/1 रकबा 14 बीघा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में डा. नं. 69/1 रकबा 14 बीघा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री मनदीप सिंह पुत्र द्वारा सिंह जाति जाट लाठदेह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत छातेदार/हितदारान को दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रीजिस्टर्ड स.डी. द्वारा नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार छातेदार/हितदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को तामील कराया गया। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार छोटे छातेदार ने नोटिस लेने से इन्कार किया। जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात् दिनांक 7-5-91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

मनदीप सिंह ने दिनांक 17-6-1991 को क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्लेम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि जो नियमों के अंतर्गत यदि आबादी को मानती गई है तो उसका औसत मुआवजा कम से कम 200/- रुपये अर्थात् 6,05,000/- रुपये छः लाख पांच हजार मात्र प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता और यदि इस तथ्य पर अंकन किया जाये तो जयपुर विकास प्राधिकरण की संदर्भित भूमियों का मुआवजा 200 करोड़ रुपये से भी अधिक, अलावा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्ट पेड-पौधे इत्यादि के मुआवजा राशि के देय होगा।

छातेदार द्वारा यह निवेदन किया कि डा. नं. 69/1 रकबा 14 बीघा तथा डा. नं. 69/2 में स्थित कूरा का मुआवजे का मुआवजा राशि हि. 1/2 पाने का अधिकारी है। जयपुरा को आवासीय योजना सन् 1988 में वैशाली नगर में कम से कम 350/- रु. व. ग. का भूमि का आवंटन करने की दर निर्दिष्ट की गई है। नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि के आवासीय प्रयोग हेतु काम में लेने पर 400 रुपये प्र. व. ग. लिया जाना तय किया गया है। इसके साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है:-

प्रति वर्ग गज न्यूनतम दर	:	300/- रु. प्रति वर्ग गज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/- रु. प्रति वर्ग गज
		<u>260/- रु. प्रति वर्ग गज</u>

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज x 260/- रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/- रु. पाने का अधिकारी हूँ।

प्रार्थी की भूमि ख.नं.69/1 रकबा 14बीघा जिसका क्षेत्रफल 42,358*
वर्गगज होते है जिसका 40 प्रतिशत 26,940/-वर्गगज कम करने पर शेष 25,410/-
वर्गगज रहते है । जिसकी बाजारी दर 260/-रुपये प्रति वर्गगज की दर
66,06600/-रु.पाने का अधिकारी हैं । मुआवजा राशि की मांग निम्न
की जाही गयी है:-

1. भूमि का मुआवजा राशि	66,06,600.00
2. भूमि डा.नं.69/2 मय कुआ का हि0 1/2	1,50,000.00
3. होद का मुआवजा	20, 000.00
4. होदी 4 का मुआवजा	12,000.00
5. नीबू 505 पेडों का मुआवजा	18,68,500.00
6. रेड के पेड 149 का मुआवजा	3,57,600.00
7. नीम के 3 पेड का मुआवजा	12, 000.00
8. शहतूत के 2 पेड का मुआवजा	4,000.00
9. छेजडकी के 12 पेड का मुआवजा	28, 800.00
10. मिटटी का डोला 500"लम्बा व 5 फुट उंचा का मुआवजा	12,500.00
11. मिटटी के डोले के ऊपर घूले 200 का मुआवजा	12,000.00
12. भूमि का समतन करने का व्यय का मुआवजा	<u>38,000.00</u>
13- भूमि स्टेक्वर एवं पेड पौधे का कुल मुआवजा राशि	<u>91,64,000.00</u>

प्रार्थी ने केन्द्र्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(1)-ए के
अनुसार 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत के वार्षिक दर से
मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है । तथा धारा 23(2)
के अंतर्गत 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं धारा 23 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक
वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का
अधिकारी है । प्रार्थी ने रिजर्व प्राईस पर 1500 वर्ग.फु. का भूखण्ड व चतुर्भुज देव
एक दुकान रिजर्व प्राईस पर आवंटन की जावे ।

क्रमांक-5

क्रं.सं. 2 मुकदमा सं० 71/88, 72/88, छा.नं. 59, 60, 61, 62, 59/3:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में छा.नं. 59 रकबा 24बीघा 51बिस्वा, ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में अलाउद्दीन अहमदजी पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खाँ हि. 57/97, हरबंस सिंह पुत्र कुंठा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सतवन्त सिंह हि. 40/97 के नाम दर्ज है। छा.नं. 60 रकबा 11 बिस्वा, छा.नं. 61 रकबा 11बीघा 51बिस्वा, छा.नं. 59/302 रकबा 24बीघा 51बिस्वा, छा.नं. 62 रकबा 11 बिस्वा। ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री सरदार हरबंस सिंह पुत्र सरदार कुंठा सिंह सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवन्त सिंह के नाम दर्ज है। तथा धृष्टि छा.सं.

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत जातेदारान/हितदारान को दिनांक 9.4.91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड स.डी. द्वारा नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार जातेदारान के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराये गये। डाकघर की रजिस्टर्ड स.डी. लौटकर प्राप्त नहीं हुई है। तत्पश्चात् जातेदारान हितदारान को नवज्योति व छैनवभारत टाइम्स समचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

मनदीप सिंह, अभिभाषक द्वारा दिनांक 17.6.91 को सरदार हरबंस सिंह पुत्र श्री कुंठा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवन्त सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निम्न प्रकार से मुआवजे की मांग की गई है कि इस क्षेत्र की भूमि आबादी मान ली गयी है तो उसका औसतम मुआवजा 200/- रु. अर्थात् 6,05,000/- रु. प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता। प्रार्थी की भूमि छा.नं. 59 रकबा 24बीघा 51बिस्वा, छा.नं. 60 रकबा 11 बिस्वा, छा.नं. 61 रकबा 11बीघा 51बिस्वा, छा.नं. 62 रकबा 11 बिस्वा, छा.नं. 59/302 रकबा 24बीघा 51बिस्वा, छा.नं. 70 का हिस्सा 1/2 व छा.नं. 71 का हि. 1/3 रकबा क्रमशः साढ़े दस व 6.6 बिस्वा कुल रकबा 29बीघा 17बिस्वा है।

जयपुरा की वैशाली नगर योजना 1988 में भूमि की दर 350/- रु. प्रति वर्गगज आवंटन दर निश्चित की गयी है। आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग में काम लेने पर 40/- रु. प्रति वर्गगज लेना तय किया गया है। साथ ही भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है।

प्रति वर्गगज न्यूनतम दर	:	300/- रु. प्रति वर्गगज
विकास शुल्क कम करने दर	:	40/- रु. प्रति वर्गगज
		<u>260/- रु. प्रति वर्गगज</u>

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815×260/- रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/- रु. की मांग की गयी है। प्रार्थी की भूमि डा.नं. 59, 60, 61, 62, 59/302, 70, 71 कुल रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 90,292 वर्गगज में से 40 प्रतिशत के हिसाब से 36,116 वर्गगज कम करने पर शेष रहा क्षेत्रफल 54,076 वर्गगज रहते हैं। जिसकी बाजारी दर 260/- रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 1,40,59,760/- रु. मांग की गयी है।



	राशि
जमीन की कीमत	1,40,59,760.00
डा.नं. 61, 62 में 6 कमरे कुल क्षेत्रफल 35×36.9=1291 व.फु.	1,29,000.00
एक वाटर टैंक	40,000.00
दो गोदाम स्टोर नाप 36.6×20	50,000.00
डा.नं. 70 में 6 कमरे आगे खुला प्लेट फार्म निर्माण कार्य का कुल क्षेत्रफल 760×100	76,000.00
कुआ का मुआवजा	3,00,000.00
खेत में सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड 2630 फुट प्रति फुट रु. 10/-	26,000.00
होदी सिमेन्ट डे 12 मय 12 कापर वाल का कुल मूल्य	24,000.00
होद से पानी के क्वान चक्के 4×30 फुट मय 3 कापर वाल का मूल्य	3,000.00
भूमि को समतल कराने का व्यय	40,000.00
मिट्टी का डोला 1800 फुट 5 फुट लंबा का मूल्य	18,000.00
नील के 783 पेड का मुआवजा	28,97,100.00
रेड के 124 पेड का मुआवजा	2,97,600.00

नीबू के 4 पेड का मुआवजा	16,000.00
शहतूत के 4 पेड का मुआवजा	8,000.00
बैर, गोला कजरी 120 पेड का मुआवजा	2,40,000.00
खेजड़ी के 37 पेड जितका मूल्य	88,800.00
बख्खल के 4 पेड का मूल्य	6,400.00
कूचेपूले 300 का मूल्य	18,000.00
आम के एक पेड का मूल्य	25,000.00
	<u>1,83,62,560.00</u>



प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अर्थात् 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि की मांग की गयी है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अधिग्रहण चार्ज एवं अवार्ड के पश्चात् अर्थात् केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत ब्याज मुक्तान तिथि तक की मांग की है। प्रार्थी द्वारा निवास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्गज का भूखण्ड व व्यवसाय करने हेतु एक दुकान रिजर्व प्लॉट पर आवंटन की मांग की गयी है। प्रार्थी द्वारा क्लेम पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को मुआवजा राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों को भी दिलाया जायें।

क्र.सं. 3 मुकदमा नं० 71/88 खतरा नं० 63/1 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि ख.नं. 63/1 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में तरदार हकबाल सिंह पुत्र नाहरसिंह कौम सिंह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार को दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि० ए० डी० द्वारा तामील कराने हेतु नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के वरिष्ठ सदस्य को नोटिस तामील कराया गया। डाकघर को रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मितल है तत्पश्चात् दिनांक 7-5-91 को नवज्योती व धीमारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

न स्क 1.....8

श्री मनदीप सिंह अभिभावक ने श्री इकबाल सिंह को और से वल्लभ प्रार्थना पत्र दिनांक 27-6-91 कोपेश किया। दावेदार द्वारा यह निवेदन किया है कि यदि प्रार्थी की भूमि आबादी मान ली गयी है तो उसका मुआवजा 200/-रु. प्रति वर्ग गज अर्थात् 6,05,000.00/-रु. प्रति बीघा पाने का अधिकारी है। तथा प्रार्थी ने निवेदन किया है कि भूमि डा.नं-63/1 रकबा 13बीघा 17बिस्वा व डा.नं-72 रकबा 11बिस्वा में 1/4 हिस्सा मुआवजा पाने का अधिकारी है। तथा भूमि का मुआवजा 200/-रु. प्रति वर्गगज अर्थात् 4,71,900/-रु. प्रति बीघा फक्की दर से पाने का अधिकारी है।

1. भूमि का मुआवजा	66,59,131.00
2. कुए का मुआवजा हि. 1/2	1,50,000.00
3. दो कमरे 280स्क्वायर फुट जिसका हि. 1/2	14,000.00
4. सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड 1900 फुट प्रति फुट 10/-रु. हि. 1/2	9,500.00
5. होदी 9 का मूल्य	9,000.00
6. कीचू 147 पेड का मूल्य	10,29,000.00
7. रेड के 100 पेड का मुआवजा	2,40,000.00
8. बेरी गोला कुंजरी 88 पेड का मूल्य	1,76,000.00
9. सफेदा 30 पेड का मूल्य	15,000.00
10. शहदूत 1 पेड का मूल्य	2,000.00
11. भूमि समतल कराने का मूल्य	30,000.00
12. मिट्टी का डोला 1500 फुट 5 फुट ऊँचा का 1/2 भाग	7,500.00
13. कुये, कुले 500 प्रतिवर्ष प्रत्येक मूला 6x500x10 की 1/2 भाग	15,000.00

83,56,131.00

प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि धारा 23(1) के अनुसार 7जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि की मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि, धारा 23(2) के अंतर्गत सोलेशियम (अनिवार्य अपारिप्त चार्ज) एवं 28 एवं 34 के अनुसार 9प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है तथा व्यवसाय हेतु एक दुकान व भूखण्ड, 1500 स्क्वायर फुट पर आवंटन किया जावे।

क्रम सं. 4 मुकदमा नं. 71/88 छा. नं. 63/2 1991

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि छा. नं. 63/2 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कौम सिद्ध नि. गोरया के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत तामील कुनिन्दा व रीजिस्टर्ड सडी. द्वारा नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार छातेदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराए गए। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार छातेदार ने नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात् दिनांक 7.5.1991 को नवभारत टाइम्स स्व निवर्ज्योति समचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

मनदीप सिंह, अभिभाषक द्वारा हरनेक सिंह की जोर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि को आबादी माना गया है तो मुआवजा राशि कम से कम 200/-रु. अर्थात् 6,05,000.00 रुपये प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता। तथा भूमि छा. नं. 63/2 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा व छा. नं. 72 का 1/4 हिस्सा अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम है। जविप्रा की वैशाली नगर योजना में 350/-रु. प्रति वर्गगज की दर से आवंटन दर निश्चित की गयी है। जविप्रा के नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग में काम में लेने पर 40/-रु. प्रति वर्गगज लेना तय किया गया है। साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। प्रार्थी 260/-रु. प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी की भूमि एवं स्ट्रेक्चर आदि का मुआवजा निम्न प्रकार से किया गया है:-

भूमि का कुल मुआवजा राशि रु.	67,00,980.00
छा. नं. 72 रकबा 11 बिस्वा का 1/4 मुआवजा.	6,400.00
कुस का मुआवजा राशि का हिस्सा 1/2	1,50,000.00
दो कमरे जिनका रकबा 280 स्क्वायर फुट है जिसका हि. 1/2 140 x 100	14,000.00
सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड 1900 फुट प्रति फुट रु. 10/-	9,500.00
9 छोटी मय कोपर वाल का हि. 1/2	9,000.00
भूमि को समतल कराने का व्यय	30,000.00

मिट्टी का डोला 1500 फुट ऊँचा का हिस्सा	7,500.00
कूँपे, कुँए 500 प्रति वर्ष प्रत्येक पूला 6x500x10 का 1/2 हिस्सा	15,000.00
कौनु 148 पेड का मूल्य	10,36,000.00
रेडू के 128 पेड का मूल्य	3,07,200.00
बेरी गोला/कजरी के 88 पेड का मूल्य	1,76,000.00
तफेदा के 35 पेड का मूल्य	17,500.00
शहतूत का 1 पेड का मूल्य	2,000.00
	84,81,169.00



दावेदार द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि को मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि एवं केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण चार्ज व अवार्ड के पश्चात् धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है तथा व्यवसाय के लिए एवं आवास के लिए 1500 वर्ग गज भूखण्ड व दुकान रिजर्व प्लॉट्स पर आवंटन की जावे।

क्रम सं. 5 मुकदमा नं. 74/88 खसरा नं. 69/2 व 73

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 69/2 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हजूर सिंह व श्रीमती निहाल कौर पत्नी हजूर सिंह सिक्ख सा.देह. के नाम दर्ज है। भूमि खं.बं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में रविन्द्र सिंह पुत्र हजूर सिंह, निहाल कौर बेवा हजूर सिंह कौम जाट सा.देह. दि. 1/2 अलाउद्दीन अहमद 1/2 नवाब लुहार के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा नोटिस तामील करवाये जाने हेतु जारी किए गए। तामील कुनिन्दा की हलफनामा रिपोर्ट के अनुसार दावेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराए गए।

..... 11/.

Handwritten signature and initials in blue ink.

डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता बाहर गया हुआ है। तत्पश्चात् धारा 9 एवं 10 के नोटिस नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराया गया।

श्री मनदीप सिंह, अभिभाषक ने श्री निहाल कौर पत्नी श्री हजारा सिंह श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी एक प्रति जविप्रा अभिभाषक को दी गयी। दावेदारों द्वारा यह निवेदन किया कि उसकी भूमि अवाप्त में मानी गयी है तो उसका मुआवजा कम से कम 200/- रु. अर्थात् 6,05,000.00 प्रति बीघा से कम नहीं हो सकती।

प्रार्थी द्वारा भूमि ख.नं. 69/2 रकबा 13बीघा 6 बिस्वा हि. 1/2, व श्री रवीन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 व कुएं में बिस्वा बराबर, ख.नं. 70 रकबा 1बीघा 1बिस्वा का 1/2 जो आबादी में है, ख.नं. 72 रकबा 11बिस्वा हिस्सा 1/2, ख.नं. 73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा में हि. 1/2 व ख.नं. 71 रकबा 1बीघा हिस्सा 1/3 के हम मालिक है। इस प्रकार प्रार्थनी श्रीमती निहाल कौर व रविन्द्र सिंह हिस्सा बराबर बराबर है। जविप्रा की वैशाली नगर योजना में वर्ष 1986 में 350/- रु. प्रति वर्गगज की दर से भूमि का आवंटन करने की दर निश्चित की गई थी। आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग हेतु काम में लेने पर 40/- रु. प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लेना तय किया गया है इसके साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो एक न्यूनतम दर है:-

प्रतिवर्ग गज न्यूनतम दर	:	300/- रु. प्रति वर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/- रु. प्रति वर्ग गज
		<u>260/- रु. प्रति वर्ग गज</u>

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज x 260 रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/- रुपये एवं भूमि ख.नं. 69/2, 70, 72, 73, 71 में हमारे हिस्से की 27 बीघा 9.7 बिस्वा है अर्थात् 53,087 वर्गगज भूमि में से 40 प्रतिशत 33,234 वर्ग करने पर 49,853 वर्गगज शेष रहती है। जिसकी बाजारी दर 260/- रु. प्रति वर्गगज से 1,29,61,780/- रु. पाने का अधिकारी है।

भूमि की कीमत	1,29,61,780.00
कुल में ख.नं. 69/2 का 1/2 भाग की कीमत	1,50,000.00

232

- 12 -

ख.नं.73 का कुए का हि. 1/2 की कीमत मय साटे सात हार्स पावर मय बिजली पाईप फिटिंग	1,40,000.00
ख.नं.70 में 1/2 में बने मकान का काम डायरेक्ट गेरेज, स्टोर, डेयरी शेड व अन्य में निर्माण क्षेत्रफल 1729 स्क्वायर फिट का मूल्य	1,72,700.00
होदी 9 जिनका मूल्य	18,000.00
अण्डरग्राउण्ड सीमेंट पाईप	9,210.00
पानी के टैंक से ख.नं.70 के मकानों तक का मूल्य	1,500.00
वाटर टैंक नग दो डा.नं.73 व 69/2 में दोनों में हिस्सा 1/2	30,000.00
होदी नग 3 क्षेत्रफल 2.5*2.5*7 गहरी मय कापरवाल मूल्य 1000/-रु.प्रत्येक	3,000.00
डा.नं.73 में मिट्टी का डोला	5,000.00
कूड़े, पुरे 300 का मूल्य	18,000.00
उप भूमि समतल का छार्वा	40,000.00
डा.नं.69/2 व डा.नं.70 व डा.नं.73 के अपने हिस्से में पेड पौधे, बेरी गोला, क्यरी के 490 पेड का मूल्य	9,80,000.00
रेड 151 पेड का मूल्य	3,62,400.00
खेजडी 6 का मूल्य	14,400.00
बम्बूल 2 का मूल्य	3,200.00
पीपल 3 ईंधन कार्य हेतु	300.00
नीम 21 लकड़ी के कार्य हेतु	6,300.00
सहवृत्त 3 पेड का मूल्य	3,000.00
शीशमि रक	1,000.00
अमरुद 4 पेड	2,000.00
कटर 1 पेड 3 वर्ष पुराना	1,000.00
	<u>1,49,22,990.00</u>

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

दावेदार द्वारा यह निवेदन किया गया कि केन्द्रीय भूमि अधिप्ति अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12% की वार्षिक दर से भूमि को मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि एवं धारा 23(2) के अंतर्गत मुआवजा राशि पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अधिप्ति चार्ज एवं धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है। तथा व्यवसाय हेतु दुकान व आवासीय 1500 व.ग.का झुण्ड रिजर्व प्राईस पर आर्बेटन किया जाये।

श्री मनदीप सिंह ने दिनांक 29-6-91 को खतरा गिरदावरी की फोटो प्रति एवं 7 प्रतियाँ रजिस्ट्रीयों की पेश की तथा लिखित बहस पेश की।

क्रम सं. 6 मुकदमा नं. 72/88, 74/88, खतरा नं. 23 व 71

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नं. 71 सरदार हरचंदास सिंह पुत्र कुंडासिंह जगदेव सिंह पुत्र संतवंत सिंह हि. 1/3 रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरसिंह निहाल कौर पत्नी हजूरसिंह हि. 1/3 अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीरुद्दीन अहमद हि. 1/3 ता. देह. ग्राम मोकुलपुरा तहसील जयपुर में नाम दर्ज है। तथा खतरा नं. 73 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मोकुलपुरा तहसील तांगानेर में रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरसिंह, निहाल कौर बेवा हजूरसिंह कौम जाट ता. देह. हि. 1/2 अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीरुद्दीन अहमद हि. 1/2 नवशरत लुहार के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अधिप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 9-4-91 को तामील कृनिन्दा व रीज. स. डी. द्वारा तामील कराये जाने हेतु नोटिस जारी जिस पर तामील कृनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार हितदारान/छातेदारान ने नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है तत्पश्चात् दिनांक 7-5-91 को नवशरत लाइन्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

श्रीमती निहाल कौर की ओर से अभिभाषक मनदीपसिंह ने वक़्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि खतरा नं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व खतरा नं. 71 रकबा 1 बीघा में से हि. 1/3 कुल भूमि का रकबा 13 बीघा साझात बिस्वा अधोहस्ताक्षरकर्ता का है।

जयपुरा की आवासीय योजना हेतु 1988 में वेबसाती नगर में कम से कम 350 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अधिप्ति करने की दर निश्चित की गई थी। जयपुरा के नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि अधिप्ति प्रयोग हेतु

234

काम में लेने पर 40 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लेना तय किया है। इसके साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है -

प्रति वर्गगज न्यूनतम दर	:	300/-रु. प्रतिवर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/-रु. प्रतिवर्गगज
		260/-रु.

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज × 260 रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रुपये अर्थात् चार सत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र प्रति बीघा बनती है।

प्रार्थी उक्त दर 4,71,900/-रुपये प्रति बीघा पाने का अधिकारी है। तथा प्रार्थी की भूमि छसरा नं० 73 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व छसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा में से हिस्सा 1/3 कुल रकबा 13 बीघा साठे सात बिस्वा जिसकी क्षेत्रफल 40,458 वर्ग गज होते हैं जिसमें से 40 प्रतिशत के हिसाब से 16,183 वर्ग गज कम करने पर शेष क्षेत्रफल 24,275 वर्ग गज रहते हैं। जिसकी बाजारी दर 260/-रु. प्रति वर्ग गज की दर से 63,11,500/- रुपये पाने का अधिकारी हैं।

1- भूमि छसरा नम्बर 73 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा में से हि. 1/2 व छ.नं. 71 हि. 1/3 कुल रकबा 13 बीघा साठे सात बिस्वा.

63,11,500/-

2- स्टेक्पर छ.नं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा का 1/2 हि. छ.नं. 73 रकबा 1 बीघा का 1/3 हिस्सा कुल रकबा 13 बीघा 7.5 बिस्वा-

छ.नं. 73 में बने कुए का 1/2 हिस्सा गहराई 130 फुट चौड़ाई 8 फुट बोरिंग 100 फुट साबोत हार्स पावर मोट मय बिजली पाईप फिटिंग-

1,40,000/-

3- वाटर टैंक का रुक 1/2 हिस्सा

10,000/-

4- अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाइन 941 फुट

9,410/-

5- मिटटी का डोला छ.नं. 73 व 1500 फुट 5 फुट उंचा प्रत्येक फुट 10 रुपये

15,000.00

15....

.....

भूमि अधिपति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
अजमेर

135

6- कुपे कुपे 500 6/- रु की दर के हिसाब से 10 वर्ष का 500*6*10	30,000.00
7- भूमि को समतल कराने पर व्यय	20,000.00
8- होदी 4 नगर 3*3*7 गहरी मय कापरवाल 2000*4	8,000.00

पेड़-पौधे :-

1- नीबू 316 पेड़ का मूल्य	11,69,200.00
2- सेहू के 35 पेड़ का मूल्य	84,000.00
3- पीपल 1 पेड़ जिसका मूल्य	1,000.00
4- नीम का एक पेड़ जिसका मूल्य	1,000.00
कुल योग:-	77,99,110.00



दावेदार द्वारा यह भी निवेदन किया है कि केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 1 के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है। तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 2 के अन्तर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्ज पाने का अधिकारी है तथा अवार्ड के पश्चात अर्थात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है। तथा व्यवसाय के लिए एक दुकान व आवाल हेतु 1500 वर्गगज को भूखण्ड रिजर्व प्राइज पर आर्बिट्ररी करने की मांग की गई है। तथा विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियाँ एवं लिखित बहस भी पेश की गई। जयपुरा के वकील को दलेम प्रार्थना पत्र व लिखित बहस की प्रति दी गई।

क्रं.सं. 7 मुकदमा नं. 71/88 छा.नं. 66

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 66 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 30 मैथिलसारा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री मैथिलसारा पुत्र भंवर लाल ब्राह्मण सा.देह, जयपुर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत छातेदार को दिनांक 9.4.91 को तामील कुनिन्दा व रीजस्टर्ड स.डी. द्वारा नोटिस जारी किए गए। तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार छातेदार के परिवार के व्यक्त सदस्य को नोटिस तामील कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

236

डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार बाहर रहता है। तत्पश्चात् दिनांक 7.5.91 को नवज्योति व नवभारत टाइम्स समचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बाबूद सुपना के छातेदार उपस्थित रहा। जीवप्रा के अभिभाषक का कथन है कि छातेदार को सुपना के बाबूद उपस्थित नहीं। अतः स्तरफा की कार्यवाही अमल में लाई जावे। हम जीवप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं। अतः छातेदार श्री मैथिलारण के विरुद्ध स्तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी थी।

क्र.सं: 8 मुकदमा नं. 72/88, 74/88 डा. नं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बीघा मय हिस्सा 1/2 एवं डा. नं. 71 में रकबा 1 बीघा हिस्सा 1/3 कुल रकबा 13 बीघा 7 1/2 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि डा. नं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बीघा श्री रविन्द्र सिंह पुत्र हजूर सिंह निहाल कौर बेवा हजूर सिंह कौम जाट सा. देह 1/2, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनद्दीन अहमद 1/2 नवाब तुहारु ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में इनके नाम दर्ज है। भूमि डा. नं. 71 रकबा 1 बीघा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार हरबंसा सिंह पुत्र कुडा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सतवन्त सिंह 1/3, रविन्द्र सिंह पुत्र हजूर सिंह, निहाल कौर पत्नी हजूर सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनद्दीन अहमद 1/3 सा. देह के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत छातेदारान/हितदारान को दिनांक 9.4.91 को नोटिस तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड स. डी. द्वारा तामील कराये जाने हेतु जारी किया गया था। तामील कुनिन्दा की हलीफा रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यक्त सदस्य को तामील कराया गया। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता बाहर गया हुआ है। तत्पश्चात् दिनांक 7.5.1991 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स समचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराया गया।

श्री मनदीप सिंह, अभिभाषक ने श्रीमती निहाल कौर की ओर से 17.6.91 को क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी एक प्रत जीवप्रा के अभिभाषक को दी गयी। क्लेम प्रार्थना पत्र में मुआवजा राशि के बारे में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि में डा. नं. 73 रकबा 26 बीघा 2 बीघा में से हि. 1/2 व डा. नं. 71 रकबा 1 बीघा में से हि. 1/3 कुल भूमि का रकबा 13 बीघा 7 1/2 बिस्वा अधोहस्ताक्षरकर्ता



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अधिष्ठापन अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 88 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि, धारा 23(2) के अंतर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अधिष्ठापन चार्ज तथा धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है। प्रार्थी को व्यवसाय करने हेतु दुकान एवं आवासीय आवास हेतु 1500 वर्ग मीटर पर निर्जल प्राईस पर आवंटन किया जावे।

२००६ के संविदा के अतिरिक्त
लेखक रूप से कहा है कि छातेदा रान / अम्ह

ग्राम अर्वाप्त अधिकार
नगर विकास योजना
बयपुर

किया गया है। तथा मनमाने तौर पर उक्त छातेदारों द्वारा ब्लेम पेश किये गये हैं। छातेदार भूमि के विक्रय पत्र जो पेश किये गये हैं वह किसी भी तरह से छातेदार के हक में नहीं हैं क्योंकि 29 सितम्बर 1988 के विक्रय पत्र में भूमि के का बेयान 33,000/- रु. बताया गया है। ये बेयान उक्त भूमि के छोटे से भाग का है और कृषि उपयोग के लिये क्रय किया जाना प्रतीत नहीं होता + अन्य रजिस्ट्रीयों वर्ष 1988 के बाद की हैं जो मान्य नहीं हैं तथा जो भूमि अवाप्ति की जा रही उसकी राशि 28000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। छ दावेदारान/हितदारान द्वारा लिखित बख्त जो पेश की हैं उसका लिखित अभिलेख प्रस्तुत ना कर जीवप्रा के वकील ने कहा कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को अनिवार्य अवाप्ति में माना गया है। तथा अन्य बिन्दु कानूनी है। उपरोक्त दावेदारान/हितदारान द्वारा जो भूमि अवाप्ति हेतु और प्रत्यक्ष व्यवसाय के लिये दुकान की जो माँग की गई है वह अस्वीकार है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभिभाषक श्री मनदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की नामान्तरण, जमाबन्दी, रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपि के आधार पर निम्न को हितदारी व्यक्ति मानते हैं। भूमि खसरा नम्बर 73 अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद की 1/2 भूमि नामान्तरण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूर सिंह के नाम पर हस्तान्तरण हुई। अतः हम श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूर सिंह को हितदारी व्यक्ति मानते हैं परन्तु अवार्ड में से मुआवजा राशि राजस्व सम्बन्धी मूल दस्तावेजात आ 8 दिनांक पेश करने पर ही देय होगी। इसी प्रकार ख.नं. 59 का रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि नामान्तरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि अलाउद्दीन अहमद खों पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खों ने सरदार हरवंश सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार संतवत सिंह को हस्तान्तरित कर गयी। अतः हम इनको हितदार व्यक्ति तो मानते हैं परन्तु अवार्ड में से मुआवजे की राशि आ दिनांक राजस्व रेकार्ड की असल प्रतियाँ पेश करने पर ही देय होगी। तथा ख.नं. 71 रकबा 1 बीघा में से अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि नामान्तरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर के पक्ष में हस्तान्तरण की। अतः हम श्रीमति निहाल कौर को हितदारी व्यक्ति तो मानते हैं परन्तु अवार्ड में से मुआवजा राशि आ दिनांक मालिकाना हक व राजस्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात की असल प्रतियाँ पेश करने पर देय होगी।

इन प्रकरणों में छातेदारान/हितदारान को अवार्ड में से मुआवजे की राशि निम्नानुसार देय होगी।

क्रम-सं०	मु०-सं०	ख०-सं०	रकबा बी० बि०	नाम जातेदार
1.	74/88	69/1	14-00	सरदार मनदोष सिंह पुत्र हजुरा सिंह जाति जाट सा० देह
2.	74/88	69/2	13-06	श्रीमति निहाल कौर पत्नी हजुरा सिंह व सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह जाति सिक्ख सा० देह
3.		73	26-08	सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह कौम जाट सा० देह, निहाल कौर श्रीमति बेवा हजुरा सिंह हि० 1/2, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद हि० 1/2 का नामान्तर- करण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हजुरा सिंह के नाम हुआ हि० 1/2
4.	71/88	63/2	18-04	सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कौम सिक्ख निवासी गौरिया
5.	71/88	63/1	13-17	सरदार इकबाल सिंह पुत्र नृसिंह सिंह
6.	74/88	72	00-11	रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजुरा सिंह हि० 1/2, इकबाल सिंह पुत्र नृसिंह हि० 1/4
7.	71/88	59	24-05	अलाउद्दीन अहमद का पुत्र अमीनुद्दीन अहमद का हि० 57/97 में अपना सम्पूर्ण हिस्से की भूमि नामान्तरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 द्वारा सरदार हरबंसा सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवंत सिंह सिक्ख को हस्तान्तरण की ।
8.	72/88	60	00-11	" " "
	"	61	01-08	" " "
	"	62	00-11	" " "
	"	59/302	02-05	" " "
9.	74/88	70	01-01	सरदार हरबंसा सिंह पुत्र कुन्डा सिंह हि० 1/2, जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह हि० 1/2, रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजुरा सिंह हि० 1/2 सा० देह
10.	72/88	71	01-00	सरदार हरबंसा सिंह पुत्र कुन्डा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह 1/3 रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजुरा सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद हि० 1/3 ने अपने हिस्से की भूमि श्रीमति निहाल कौर को नामान्तरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा हस्तान्तरण की
11.	71/88	66	01-17	मेथलारण पुत्र भंवर लाल सा० देह

②

क्र.सं.	मु.संख्या	ख.नं.	रकबा बी. बि.	नाम छातेदार
---------	-----------	-------	-----------------	-------------

12	78	68	29-02	श्री नारायण पुत्र श्यामचन्द 1/2 राधेश्याम , मोहनलाल, ग्यास्ती राम, लाला राम पुत्रान गोविन्द राम 1/2 अहिद ता. देह :
----	----	----	-------	--

मु.नं. 72 ख.सं. 68 रकबा 29 बी. 2 बि. ता. देह

धारा 6 के गजट नो टिपिक्शन में भूमि ख.नं. 68 रकबा 29 बी. 2 बि. ता. देह
ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री नारायण पुत्र श्यामचन्द 1/2, राधेश्याम, मोहनलाल,
ग्यास्ती राम, र लाला राम पि. गोविन्दराम 1/2 जाति अहिद ता. देह के नाम दर्ज
हैं।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दावेदारान/
हितदारान को दिनांक 29-4-91 को तामील कुनिन्दा व रीजिस्ट्रार साडी 8 द्वारा
तामील कराये जाने हेतु जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हिल्थयफ रिपोर्ट के
अनुसार दावेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को नॉटिस तामील
कराया गया। डाक धर की रिपोर्ट के अनुसार दावेदारान/हितदारान ने नॉटिस
लेने से इन्कार कि या जो शामिल हैं। तत्पश्चात दिनांक 7-5-1991 को
नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से दावेदारान/हितदारान
को धारा 9 एवं 10 के नॉटिस का प्रकाशन कराया गया। दावेदारान/हितदारान
को नॉटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुये। अतः दावेदारान/हितदारान के
विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 & 10 के अन्तर्गत उपरोक्त
मुकदमा में सार्वजनिक नॉटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा संबन्धित तहसील, पंचायत
समिति, नॉटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व संरक्षक को दिये गये व चर्चा कराये गये जो
दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये।

मुआवजा निर्धारण :-

=====

जहाँ तक मुख्य राज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है
नगरीय

24
-25-

विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6415/नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 के द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जीवप्रा एवं सचिव जीवप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावे। इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी छातेदार को बुलाकर नैगोशियेशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 7.7.88 को हुआ था इसीलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रीजस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

स्व.सं. 66 व 68 के अतिरिक्त जहां तक उपरोक्त धारों के छातेदारों के मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है छातेदार द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि बिना किसी आधार के तथा मनमाने तौर पर बांटी है तथा ना ही किसी रीजस्टर्ड वेल्यूयर से स्ट्रेक्चर का तकमीना प्रमाणित नहीं कराया गया है। जीवप्रा द्वारा भूमि छा.नं. 62 पर बने स्ट्रेक्चर का मुआवजा राशि 62,298/-रु. प्रमाणित कर भेजे गए हैं उसका भुगतान छातेदार को किया जाता है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा सू.ख.नं. 70 पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा 59,903/-रु. का तकमीना प्रमाणित होकर प्रस्तुत हुआ है। यह राशि छातेदार/हितदार को मुआवजा राशि के रूप में दिये जाने की घोषणा की जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है। तथा भूमि के हितधारी/छातेदार को भूमि के मुआवजे की राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा

दी जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा अन्य छातेदारों के स्टेवर आदि जीवप्रा से तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण कर दिया जावे। हम जीवप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं। ^{जहाँ तक ख. अ. 66 व 68 के सुविचारों को} ^{मुआवजा राशि का प्रश्न है उनके विरुद्ध एक तरफा} ^{कार्रवाई होने के कारण मुआवजा राशि की गणना का प्रश्न ही नहीं उठता} लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जीवप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जीवप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक: टी. डी. आर./91/336 दिनांक 5.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम गोकुलपुरा में 20,000/-रु. प्रति प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रीजिस्ट्रेशन हुआ था इसीलिए जहाँ तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस संबंध में उप मंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार, जीवप्रा प्रथम ने अपने यु.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये थे जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जीवप्रा के अभिभाषक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से लय की जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि निश्चित है।

जहाँ तक पेड-पौटो, कूर, सबके एवं भूमि पर बने स्टेवर का प्रश्न है उपरोक्त पाद पत्रों में छातेदारान/वहतदारान द्वारा कोई तकमीना रीजस्टर्ड वेल्युवर से प्रमाणित कराकर पेश नहीं किया गया है। जीवप्रा द्वारा तकनीकी रूप से

भूमि डा.नं. 62 ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में स्थित भूमि पर स्ट्रेचर का मुआवजा राशि 62,298/- एवं भूमि डा.नं. 70 में बने स्ट्रेचर का- मुआवजा 59,908/- तकनीकी रूप से अनुमोदित होकर पेसा किस गर है। स्था. स्थिति में स्ट्रेचर के मुआवजे का निर्धारण किया जाता है तथा अन्य जांचदारों/हितधारकों को भूमिओं के तक्याने स्ट्रेचर/जांच जांच से तकनीकी रूप से अनुमोदित होकर प्राप्त होने पर विचार करते निम्नानुसार निर्धारण किया जावेगा। हम 80 भूमि के मुआवजा का निर्धारण 24,000/- प्रति बीघा की दर से करते हैं। वस्तु लोकन मुआवजे का मुकतान तय्यक रूप से मासिकाना एक संबंधी दस्तावेजात पेसा करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण पोररीशट"ए" के अनुसार जो इत अर्वाइ का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम की धारा 23(1)-ए एवं 23(2) के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर निम्नानुसार 30 प्रतिशत तो लोभ्यम एवं 12 प्रतिशत जीतीरक राशि भी देव होगी जिसका निर्धारण पोररीशट"ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है।

जीतीरक निदेशक प्रथम एवं सक्षम अधिकारी, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के तमस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सोमा में सम्मिलित है एवं अल्लर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लोकन इन्हींने यह सूचना नहीं दी है कि अल्लर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अध्या नहीं स्था. स्थिति में अर्वाइ केन्द्राय भूमि अधिपत अधिनियम के अंतर्गत पोररित किये जा रहे है।

अतः यह अर्वाइ आज दिनांक 25.7.91 को पोररित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: पोररीशट"ए" गणना तालिका

भूमि प्रवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास योजनाएं,
भूमि अधिपत अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक ए-6(15) न किश/87 पार्ट दिनांक 31-7-91 के द्वारा अर्वाइ अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। आज दिनांक 31-7-91 को अर्वाइ से इजलास प्रकाशित किया जाता है एवं शाकिल मिलल किया जाता है।

भूमि अधिपत अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परिशिष्ट "B" गणना तालिका ग्राम- गोकुलपुरा तहसील जयपुर

क्रम.सं.	मुकदमा नं.	खातेदार/हितदार का नाम	खसरा नं.	रकबा बी-बी	भूमि की कीमत 24,000/- प्रति राशि बीघा की दर से	भूमि की मुआवजा	स्ट्रेक्चर के मुआवजा राशि	12% अति. राशि	सोलिशियम 30% राशि	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	74/88	सरदार मनदीप सिंह पुत्र हज्जरा सिंह जाति जाट सा. देह	69/1	14-00	"	3,36,000/-	-	1,00,800/-	1,23,077/-	5,59,877/-
2.	74/88	80/88 श्रीमति निहाल कौर पति हज्जरा सिंह व सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हज्जरा सिंह जाति सिक्ख सा. देह	69/2	13-06	"	3,19,000/-	-	95,700/-	1,16,850/-	5,31,550/-
3.	74	सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हज्जरा सिंह कोम जाट सा. देह, निहाल कौर बेवा हज्जरा सिंह हि. 1/2 अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनुदीन अहमद हि. 1/2 का नामान्तरण करण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हज्जरा सिंह के नाम हुआ हि. 1/2	73	28 26-02	"	6,26,400/-	-	1,87,920/-	2,28,450/-	10,43,770/-
4.	71/88	सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कोम सिक्ख निवासी गोरिया	63/2	14-04	"	3,40,800/-	-	1,02,240/-	1,24,835/-	5,67,875/-
5.	71/88	सरदार इकबाल सिंह पुत्र नर सिंह सिक्ख	63/1	13-17	"	3,32,400/-	-	99,720/-	1,21,758/-	5,53,878/-
6.	74/88	रविन्द्र सिंह पुत्र हज्जरा सिंह, निहाल पति हज्जरा सिंह हि. 1/2, इकबाल सिंह पुत्र नर सिंह हि. 008 1/4	72	00-11	"	13,200/-	-	3,960/-	4,835/-	21,995/-

मुख्य अधिकारी
क्षेत्र विकास योजनाएं

जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
7.	71/88 72/88	अलाउद्दीन अहमद खां पु. अमीनुद्दीन अहमद खां हि. 57/97में अपना सम्पूर्ण हिस्से की भूमि नामान्तरण संख्या 117-118 दिनांक 30.8.88 द्वारा सरदार हरबंश सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पु. सरदार संतवंत सिंह सिक्ख को हस्ता- तरण की ।	59 60 61 62	24-05 00-11 01-08 00-11							
		द्वारा सरदार हरबंश सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पु. सरदार संतवंत सिंह सिक्ख को हस्ता- तरण की ।	59/302	02-05		24,000/-	6,96,000 11,76,000/-	62,298/-	2,77,765 3,71,489/-	2,27,489 4,53,589/-	12,63,552 20,63,376/-
8.	74/88	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जगदेव सिंह पुत्र संतवंत सिंह 1/2, रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह, निहालकौर पत्नी हजुरा सिंह 1/2 सा. देह.	70	01-01	"	25,200/-	59,903/-	25,531/-	31,173/-	1,41,607/-	
9.	72/88	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जगदेव सिंह पुत्र संतवंत सिंह 1/3 रविन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह, निहालकौर पत्नी हजुरा सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/3 ने अपने हिस्से की भूमि श्रीमती निहाल कौर को नामान्तरण सं. 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा हस्तान्तरण की.	71	01-00	"	24,000/-	-	7,200/-	8,791/-	39,991/-	

श्री अर्वाण्डि अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	71/88	श्री लक्ष्मण पुत्र भैरव लाल सा. देह.	66	01-17	24,000/-	44,400/-	--	13,320/-	16,264/-	73,984/-
11.	72/88	श्री नारायण पुत्र श्यामचन्द 1/2 राधे श्याम, मोहनलाल, ग्या सली राम, लाला राम, पुत्रान गोविन्द राम 1/2 अहिद सा. देह.	68	29-02	"	6,98,400/-	--	2,09,520/-	2,55,824/-	11,63,744/-

नोट:- 1. सोलिडिफिकेशन 30 प्रतिशत कालम नं० 7 पर मुआवजे राशि पर देय होगी ।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4 § 1 का गजट दिनांक 7-7-88 से 25-7-91 तक की गई है ।

3. ये राशियाँ का उग्रान गणकी कागज दस्तावेजों के अन्तर्गत ही लिखित हैं ।

भूमि अधिपति अधिकारी सी,
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण । भवन, जयपुर

246